न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1623–एक/2008 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–08–2008 पारित द्वारा अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर के प्रकरण कमांक 7/अपील/2005–06.

.....

1–रामसिंह पिता घिसिया राजपूत
2–मानसिंह पिता घिसिया राजपूत
निवासीयान ग्राम ढालखेड़ा तहसील कसरावद
जिला खरगोन म0प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

विक्रमसिंह पिता शेरसिंह राजपूत
निवासी ग्राम ढालखेड़ा तहसील कसरावद,
जिला खरगोन

..... अनावेदक

.....

श्री एन.के.गंगवाल, अभिभाषक–आवेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 16/8/14 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–08–2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा नायब तहसीलदार कसरावद के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उसके मालिकी हक एवं कब्जे की कृषि भूमि ग्राम ढालखेड़ा तहसील कसरावद स्थित खसरा नम्बर 240 रकबा 2.266 हेक्टेयर होकर

उसका सीमांकन सहायक अधीक्षक भू अभिलेख खरगोन द्वारा दिनांक 14–6–2003 को आवेदकगण की उपस्थित में किया गया । सीमांकन में पाया गया कि अनावेदक की 0.20 कड़ी भूमि पर आवेदकगण का अनाधिकृत रूप से कब्जा है, अतः प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा दिलाया । नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई तथा आवेदकगण को सूचना पत्र जारी कर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये दिनांक 21–3–2005 को आदेश पारित कर आवेदकगण से प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा दिलाये जाने के आदेश दिये गये । साथ ही रुपये 1000/– अर्थदण्ड आरोपित किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–8–2005 से अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–8–05 के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर अयुक्त द्वारा दिनांक 20–8–08 को आदेश पारित की द्वितीय अपील अस्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि का न तो सीमांकन हुआ है और न.ही सीमांकन आदेश पारित हुआ है, ऐसी स्थिति में संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत तहसील न्यायालय द्वारा कार्यवाही नहीं की जा सकती है । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ प्रकरण में अनावेदक स्वयं ने उपस्थित होकर केवल यही तर्क प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किये गये सीमांकन में अनावेदक की भूमि आवेदक के कब्जे में पाई गई है, अतः तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत की जा रही कार्यवाही विधिसंगत है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि

प्रश्नाधीन भूमि का विधिवत् सीमांकन आवेदकगण की उपस्थिति में किया गया है और सीमांकन में प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का अवैध कब्जा पाया गया है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा अनावेदक को दिलाये जाने एवं रुपये 1,000/– अर्थदण्ड अधिरोपित करने में पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है । चूँकि तहसीलदार द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जिसकी पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है, इसलिये तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–08–2008 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर